

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 1371 // नगानि/11
प्रति,

देवास, दिनांक 23/7/2011

श्री सुनिल सोनी पिता श्री कन्हैयालाल सोनी
निवासी 253 एम. जी. रोड देवास

विषय :- ग्राम - देवास जुनियर मे स्थित भूमि सर्वे क. 542/2/1/1 एवं 543/1, कुल रक्का 0.098 है। (980.0 वर्ग मी.) भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन चाहत।
संदर्भ:- आवेदक का आवेदन दिनांक 21-7-2011

:-००:-

उपरोक्त विषय मे संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत दरतापेजो के आधार पर ग्राम - देवास जुनियर मे स्थित भूमि सर्वे क. 542/2/1/1 एवं 543/1, कुल रक्का 0.098 है। (980.0 वर्ग मी.) भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन चाहा गया है।

आवेदक भू-स्वामि व्यासा प्रस्तुत आवेदन मे यथावर्णित दरतापेजो, शापथपत्र के आधार पर पिष्याकित भूमि कुल रक्का 980.0 वर्ग मीटर भूमि पर स्वयं के आवासीय उपयोग चाहा गया है। उक्त भूखण्ड पर यहां मे 9.0 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उपलब्ध है। तथा गूखण्ड पूर्ण रूप से विकसित थोत्रान्तर्गत है तथा नगर निगम सीमा के बाईं क. 16 मे रिक्त है। सलग्न मानचित्र अनुसार म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम - 1973 की वारा-30 (1)-(७) तथा म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के ग्रावधानो के अलीन भूखण्ड पर विकास कार्य कियान्वित किये जाने की कार्ययाही सक्षम प्राधिकारी व्यासा अधिनियमों / नियमों के ग्रावधानो के अंतर्गत करने हेतु शतों के अधीन स्थल अनुमोदन प्रदान किया जाता है। :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/ सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/ अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।-
 - अ. म0प्र0भू-राजरव संहिता-1959 की पारा-172
 - ब. म0प्र0नगर पालिका निगम, अधिनियम-1956
 - स. नजूल विभाग, देवास
 - द. देवास विकास प्राधिकरण, देवास
 - ई. अन्य किसी अधिनियमों/ नियमों के अंतर्गत कोई अनुज्ञा / अनापत्ति प्राप्त करना।
आवश्यक होतो उसे आवश्यक रूप से ग्राप्त किया जावें।
2. सक्षम प्राधिकारी व्यासा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की प्रश्नाधीन भूखण्ड किसी रूपकृत अनिन्यास का भाग नहीं है।
3. सलग्न मानचित्र मे दर्शाये अनुसार विष्याकित भूमि के सामने स्थित पहुंच मार्ग की चौड़ाई 09.00 मीटर यथावत रखना होगा।

निरन्तर.....2

4. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूखण्ड में सामने 12.0 मी. एवं आजू—बाजू में 4.50 मी. एवं पीछे 4.50 मी. सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र को किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमति नहीं है। इसका पालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिरिच्त किया जायेगा।
5. प्रस्ताव अनुसार आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा। भवन की उचाई म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होगी।
6. रकारथ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से रामरत आधार—भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा।
7. यह अनुज्ञा आवेदकों को रक्षण के आवासीय उपयोग हेतु दी गई है। किसी भी प्रकार का उप-चिनाजन कर विकास करना अथवा ऐसी कोई गतिविधि मान्य नहीं होगी, जो कि म0 प्र0 नगर पालिका नियम—1990 के प्रावधानों के विपरित हो।
8. म0प्र0भूमि विकास नियम—1984 के नियम—82 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित स्थितियों के लिए आवश्यक प्रावधान करना होगा।
9. म0प्र0 भूमि विकास नियम—1984 के प्रावधानों का पालन भवन अनुगति के रामय राहग्राम प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा।
10. म0प्र0भूमि विकास नियम—1984 के नियम—78(4)के अनुसार रेनवाटर हायेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी। इसके पश्चात ही सर्वधित हारा जल एवं विषुल संयोजन किया जा सकेगा।
11. उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर साक्षम प्राधिकारी द्वारा म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956—61 के अंतर्गत कालोनाइजर का (रजिस्ट्रीकरण निर्दन एवं शर्तें) नियम 1998 एवं म0प्र0भूमि विकास नियम—1984 के प्रावधानों के लहूत भवन के आंतरित प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा आयुक्त, नगर पालिका निगम, देवास से प्राप्त करना होगी।
12. उक्त अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी।
13. उक्त अनुज्ञा को न्यू-स्वामित्र का दरतावेज नहीं माना जावें, और न ही यह आहस्तांतरणीय होगी।
14. विषयांकित भूमि का सीमांकन राजरव तिमाग से कराना होगा। सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हो, तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुसोदन इस कार्यालय से कराना होगा। ततपश्चात ही स्थल पर निर्माण अनुमति मान्य मानी जावेगी।

✓
160

// 3 //

15. भूमि की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई ज्ञानकारी असत्य पाई जाने पर या तथ्यों को छिपाने पर उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम-25 के तहत प्रतिरोहित (रिहोक) की जा सकती।

संलग्न: एक स्थीकृत मानवित्र।

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय देवास
देवास, दिनांक 23/7/11

पु. क्रमांक 1312-73/ नवानि/ 2011


प्रतिलिपि 1— आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— अनुदिमाणीय अधिकारी राजस्व देवास की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्न: एक-एक स्थीकृत मानवित्र।

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास



8

1. ፩፻፲፭ ዓ.ም. ከፃፈ ተስፋዬ ስለመሆኑን የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል

የዚህ ስርዓት የሚ ችልግ እና ተከራካሪ ተደርጓል
በአው የዚህ ስርዓት / የሚገኘ ችልግ የሚ ችልግ / የሚገኘ ችልግ
ይመለከት ይመለከት ይመለከት ይመለከት

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三十一

Digitized by srujanika@gmail.com

Հայոց ազգական պատմության առաջնահարուսակը՝ Արքա Տիգրան Մակեդոնացին է։ Տիգրանը առաջ է բերել Հայաստանի ազգական պատմության առաջնահարուսակը՝ Արքա Տիգրան Մակեդոնացին։

— 00 —

253 ਪ੍ਰ. ਵਿਲੀ ਕਾਨੀ

四月/四月/1341

23/7/2011

• 51

1. Հայութիւն կազմակերպություն


**କାହିଁର ନିର୍ମିତ ବନ୍ଦି ଏବଂ
ବନ୍ଦିର ଶିଖ**

الطبخ

Файлът

卷之二

2011



1

二十一

گلزاری از مکانات اسلامی در ایران

— 00 —

Page 253 of 261

1374/၇၂၈/၁၃၁၂ | ၁၃၀၁/၂၀၁၇ | ၁၃၀၁/၂၀၁၇/၁၃၁၂ | ၁၃၀၁/၂၀၁၇/၁၃၁၂

4

15.

二十一

100

پا پا-پا

| E₂||+||r D₂||p₃ 由Δ—由Δ

Page 59

—2— የታደሱ ማረጋገጥ አለበት ተከራክር የሚያስፈልግ ስምምነት ነው ይህንን በመተዳደሪያ በኋላ

۱۳۷۸-۷۹ میلادی - سالیانه هیئت امنیت اسلامیه ایرانیان از آنکه این ایام را در این شرایطی میگذرانند

አዲስ አበባ ቤት የዕለታዊ ሪፐብሊክ

1. क्षेत्रीय विकास बोर्ड

የኢትዮጵያውያን ከተሰጠው የሚከተሉት ስምዎች በመስቀል ተደርጓል፡፡

/ / e / /

